विचार बिन्दु

अतिथि जिसका अन्न खाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। –अथर्ववेद

क्या दिनांक 27.12.2022 का इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बैंच के निर्णय से संबंधित नगर पालिकायें संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत् गठित स्वायत्त शासन की संस्थायें नहीं हैं?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जिसमें जस्टिस डी.के. उपाध्याय व जस्टिस सौरव लवानिया थे, उस खण्डपीठ ने दिनांक 27 दिसम्बर 2022 के निर्णय से 93 पीआईएल व रिट् केसेज को निर्णित किया। इन पीआईएल व रिट केसेज में समान तथ्य व कानूनी बिन्दु हैं। पीआईएल नं. 870/2022 वैभव पाण्डे बनाम स्टेट व अन्य के केस के साथ शेष 92 पिटीशनस् को जोड़ा गया है।

पिटीशन्स में प्रार्थीगण का कथन है राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 05.12.2022 संविधान के बाध्यकारी प्रावधान जो अनुच्छेद 243टी में है तथा बाध्यकारी सिद्धान्त जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के. कृष्णामूर्ति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (यह निर्णय 2010 (7) एससीसी 202 में रिपोर्ट हुआ है) तथा एक अन्य केस विकास किशनराव गवाली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य के टाइटल से 2021 (6) एससीसी 73 से रिपोर्ट हुआ है।

सभी पिटीशन्स में डा. एल.पी. मिश्रा व श्री आनन्द पाठक एडवोकेट्स से मूल रूप से बहस की है। पिटीशन दो प्रकार की हैं। इन दोनों में नोटिफिकेशन दिनांक 05.12.2022 को चुनौती दी गई है।

विज्ञप्ति दिनांक 05.12.2022 को चुनौती देने के साथ ही राज्य के दिनांक 12.12.2022 के आर्डर को भी चुनौती दी गई है। जिसके द्वारा यह अपेक्षित किया है कि लोकल बोडिज की अवधि समाप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है कि वे लॉकल बॉडीज के एकाउण्ट को, एक्जिक्यूटिव ऑफिसर व सीनियर मोस्ट ऑफिसर के संयुक्त हस्ताक्षर से एकाउण्ट ऑपरेट करेंगे।

यहाँ यह लिखना समीचीन है कि संसद (पार्लियामेण्ट) ने कान्स्टीटयूशन (सेवेन्टी फॉर्थ) संशोधन अधिनियम 1992 से संविधान में नया चेप्टर–IXA दिनांक 01.06.1993 से जोड़ा है। यह इसलिये जोड़ा गया था कि नगर पालिकायें बंधन मुक्त होकर, संविधान के अनुच्छेद 243क्यू के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था है। यही स्थिति पंचायत की भी है। अनुच्छेद 243पी के अनुसार नगर पलिका से अनुच्छेद 243क्यू के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था से अभिप्रेत है।

चूंकि संविधान के पार्ट IXA के प्रावधानों के अनुसार स्टेट अधिनियम जिनका संबंध म्यूनिसिपीलिटीज से था उन्हें संविधान के प्रावधानों के अनुसार ढालना था, अतः उत्तरप्रदेश के यूपी एक्ट नं. 12 ऑफ 1994 व उ.प्र. म्यूनिसिपिलिटी कोरपोरेशन एक्ट 1959 में भारी संशोधन किये गये। अनुच्छेद 243टी को प्रभावशाली बनाने के हेतु सेक्शन 9ए व सेक्शन 7 म्यूनिसिपिलिटी एक्ट 1916 व म्यूनिसिपिलिटी कोरपोरेशन एक्ट 1959 में शामिल किये गये इनके द्वारा सीटों का आरक्षण किया गया तथा चेयरमेन के पद बनाये गये।

के. कृष्णामूर्ति के केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान बैंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि बेकवर्ड क्लासेज की पहिचान अनुच्छेद 243 डी (6) व अनुच्छेद 243 टी 6 में Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) की पहिचान अनुच्छेद 15(4) तथा Backward Classes की पहिचान अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में भिन्न है।

ट्रिपल टेस्ट/कंडीशन की पालना करना राज्य के लिये बाध्यकारी है जहां स्टेट को सीटों का आरक्षण लोकल बोडीज में बेकवर्ड क्लासेज के नागरिकों के लिये करना आवश्यक है। ये ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशनराव गवाली में इस प्रकार अभिव्यक्त किये हैं :–

अ. एक समर्पित कमीशन का गठन करना

ब. कमीशन की सिफारिश के अनुसार आरक्षण का प्रोपोरशन प्रत्येक निकास में किया जावे।

स. किसी भी स्थिति में यह आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जिसका अभिप्राय है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडों का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

पिटीशन्स में दिनांक 05.12.2022 की विज्ञप्ति को दो आधारों पर चुनौती दी गई है –

1. संविधान के अनुच्छेद 243 टी में जो निर्देश दिया है उसकी पालना करना।
2. के. कृष्णामूर्ति ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं उनकी पालना करना।

इन मुकदमों में स्टेट ऑफ यूपी की ओर से सुयोग्य एडीशनल एडवोकेट जनरल श्री वी.के. शाही ने मुख्यतः बहस की है।

केन्द्रीय सरकार ने यह पाया कि राज्यों की लॉकल बॉडीज काफी कमजोर और लगभग प्रभावहीन हो चुकी है। अतः इन्हें शक्तिशाली बनाने के लिये संसद ने संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 पारित किया। यह 1.6.1993 से अन्तः स्थापित किया गया। इस प्रकार नगर पालिकाओं के हेतु भाग 9क, संविधान में अनुच्छेद 243त से 243 य छ के रूप में संविधान के भाग बने।

स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से स्टेट द्वारा की गई बहस को ही अपनाया गया। बहस का आधार था कि जब तक सेक्शन 9ए यूपी म्यूनिसिपलिटीज एक्ट व सेक्शन 7, यूपी म्यूनिसिपिल कॉरपोरेशन अल्ट्रा वायरस घोषित करार नहीं दी जावे, पिटीशन्स चलने योग्य ही नहीं हैं।

पक्षकारों की बहस के बाद माननीय खण्डपीठ ने कहा कि निम्नलिखित प्लीडिंग्स के आधार पर बनाये जाकर निर्णय किया जाना चाहिये :–

1. क्या स्टेट की प्लीडिंग्स के आधार पर यह माना जा सकता है कि के. कृष्णामूर्ति व विकास किशन राव गवाली के मामलों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, उनकी पालना की गई है?
2. क्या पिटीशर्नस धारा 243 टी (6) के अनुसार सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
3. क्या राज्य सरकार का आदेश दिनांक 12.12.2022 विधि सम्मत है ?

बहस सुनकर खण्डपीठ ने यह निर्णय दिया कि के. कृष्णामूर्ति व विकास किशन राव गवाली ने ट्रिपल टेस्ट के जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं उनकी पालना नहीं की गई। इसके फलस्वरूप राज्य ने सीटों के तथा चेयर पर्सन्स के पदों के आरक्षण और विज्ञप्ति दिनांक 05.12.2022 अवैध हैं व निरस्तनीय हैं।

संक्षेप में सभी रिट पिटीशन्स माननीय खण्डपीठ ने स्वीकार कर निम्नलिखित निर्देश दिये हैं:–

1. विज्ञप्ति दिनांक 05.12.2022 जिसे यूपी राज्य के डिपार्टमेण्ट ऑफ अरबन डेवेलपमेन्ट ने धारा 9ए(5)(3) के तहत जारी की थी उसे अवैध घोषित की जाती है।

2. यूपी राज्य का आदेश दिनांक 12.12.2022 जिसके द्वारा यह आदेश दिया है कि म्यूनिसिपिलिटीज का बैंक अकाउण्ट एक्जीक्यूटिव ऑफिसर व सीनियर मोस्ट ऑफिसर उत्तर प्रदेश पालिका सेन्ट्रेलाइज्ड सर्विस (अकाउण्ट केडर) को अवैध होने से निरस्त किया जाता है।

3. यह निर्देश दिया जाता है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के. कृष्णामूर्ति व विकास किशन राव गवाली ने बाध्यकारी माना है उस प्रक्रिया की पूरी पालना नहीं की जाती, पिछडे नागरिकों को आरक्षण नहीं दिया जावेगा। यूपी राज्य व स्टेट इलेक्शन कमीशन तत्संबंधित विज्ञप्ति अति शीघ्र जारी करेंगे। चुनाव बिना आरक्षण होगा।

इस प्रकार इलाहाबाद होईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने आयोग बनाये बिना शहरी निकाय चुनाव में अन्य पिछडा वर्ग को 27 प्रतिशत देने से यूपी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई थी। राज्य सरकार ने आयोग (कमीशन) बनाने की घोषणा कर दी है आयोग के चेयरमेन पूर्व जस्टिस रामावतार सिंह हैं आयोग का गठन भी हो गया है और आयोग को 6 माह में चुनाव कराने की हिदायत दी है।

योगी सरकार ने न्यायालय के दिनांक 27.12.2022 के आदेश को कानूनी रूप से दोष पूर्ण मानते हुये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार का मानना है कि उच्च न्यायालय को निकायों के चुनाव में अन्य पिछडा वर्ग के लिये सीटों में आरक्षण के प्रावधान जो दिसम्बर 5, 2022 की विज्ञप्ति है वह अधिसूचना के प्रारूप को निरस्त नहीं कर सकती। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह केस लेकर गई है, कमीशन नियुक्त करने के बाद निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने तक चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार ने यह पाया कि राज्यों की लॉकल बॉडीज काफी कमजोर और लगभग प्रभावहीन हो चुकी है। अतः इन्हें शक्तिशाली बनाने के लिये संसद ने संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 पारित किया। यह 1.6.1993 से अन्तः स्थापित किया गया। इस प्रकार नगर पालिकाओं के हेतु भाग 9क, संविधान में अनुच्छेद 243त से 243 य छ के रूप में संविधान के भाग बने। ये प्रावधान क्यों लाये गये इसे संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 के Statement of Objects and Reasons में उल्लेखित है। इससे पूर्व प्रत्येक राज्य में नगर पालिकायें स्थापित थी वे सरकार के नियंत्रण में चलती थीं। वे नगर पालिकायें बॉडी कॉरपोरेट के रूप में थी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में नगरपालिका (शहरी निकाय) को यह कहकर परिभाषित किया गया है, "नगर पालिका के अनुच्छेद 243 क्यू के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था अभिप्रेत है" और अनुच्छेद 243 क्यू यह घोषणा करता है कि नगरपालिकाओं का गठन, प्रत्येक राज्य में इस भाग के (भाग 9क) उपबन्धों के अनुसार गठन किया जावेगा।

प्रत्येक कथन के अनुसार नगरपालिकाओं का गठन किसी राज्य के कानून के अनुसार नहीं होता अपितु इनका उद्भव व गठन संविधान के भाग IXA। अनुबंधों के अनुसार है। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू स्पष्ट रूप से कहता है कि इस संविधान के अधीन रहते हुये किसी राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों और अधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के हेतु आवश्यक हो। समितियों (अनुच्छेद 243 एस के तहत गठित) को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, जिनके अन्तर्गत वे उत्तरदायित्व भी है जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हो। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू कर शुल्क, पथ कर और फीसें उद्गृहित संगृहीत और विनियोजित करने के बाबत है।

जहाँ तक यूपी राज्य का संबंध है वहाँ पूर्व कानून में बहुत संशोधन हुये हैं, फिर भी वे संविधान के भाग 9क के प्रावधानों से बहुत दूर हैं।

हम यदि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को या इससे पूर्व में नगरपालिका अधिनियमों पर विचार करें तो स्पष्ट होगा कि संविधान के भाग IXA के अनुसार नगरपालिका का उद्भव संविधान से है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में म्यूनिसिपल एरिया को यह कहकर परिभाषित किया है कि वह क्षेत्र जो स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा नोटिफाई किया गया है जबकि संविधान के भाग IXA में नगरपालिका क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। नगरपालिका का गठन अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार होना चाहिये न कि राज्य की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत। अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार नगरपालिका एक बॉडी कोरपोरेट है जबकि संविधान के भाग IXA के अनुसार वह अनुच्छेद 243क्यू के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 व जेडीए अधिनियम, संविधान के भाग IXA के विरूद्ध होने से अवैध (Ultra Vires) है, म्यूनिसिपिलिटी जयपुर का गठन अधिकार शून्य है और उसे कोई कर या फीस बसूल करने आदि का अधिकार नहीं है। ये दोनों स्वायत्त शासन की संस्थायें नहीं हैं।

योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उक्त निर्णय को चुनौती दी है। इससे पूर्व कमीशन की नियुक्ति भी कर दी कमीशन को रिपोर्ट देनी है। अतः इन परिस्थितियों का क्या असर होगा? क्या Waiver अथवा Estoppel का सिद्धान्त लागू होगा। इस विवाद से और संविधान के भाग IXA के संदर्भ में कई संवैधानिक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहस में उठाये जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर दिनांक 4.1.2023 के आदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और इस प्रकार यू.पी. राज्य को निकाय चुनाव तीन माह देर से कराने की अनुमति दी है।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

बजट: वादों को पूरा करने का एक साधन

वादे, भारतीय राजनीति की एक सर्वोत्कृष्ट विशेषता रहे हैं। घोषणापत्र, सरकारी कार्यक्रम और यहां तक कि बजट की कवायद भी चुनावी राजनीति या गठबंधन की मजबूरियों का शिकार रहीं हैं, जिसके लिए ऐसे वादों की जरूरत होती है, जिन्हें तोड़ा जाना होता है।

वर्ष 2018 के उतरार्द्ध में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने 2014 के घोषणापत्र में किए गए वादों की समीक्षा करने के लिए कई कवायदें की गईं थीं। वादों को पूरा करने के मामले में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही सन्दर्भों में। समय आ गया है कि बजट घोषणाओं पर करीब से नजर डाली जाए और यह देखा जाए कि क्या उसमें, खासकर रेल बजट से संबंधित, किए गए वादे पूरे किए गए हैं या फिर वे पिछली बजट घोषणाओं की तरह ही अधूरे रह गए हैं।

हमने बजट 2022–23 में की गई 34 प्रमुख घोषणाओं पर बारीकी से गौर किया है और उनके कार्यान्वयन का आंकलन किया । इन घोषणाओं के कार्यान्वयन के मामले में बेहतर प्रदर्शन भारत सरकार की बेहतर प्रशासनिक दक्षता का संकेत हो सकती है। आश्चर्यजनक रूप से, दो बातों को दर्शाते हुए इन प्रमुख घोषणाओं में से प्रत्येक में काफी प्रगति हुई है।

पिछले बजट में पीएम गति शक्ति की घोषणा से शुरुआत करते हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसे मंच का निर्माण करना था। यह मंच 16 मंत्रालयों को एकजुट करता है और देश भर में मल्टी–मोडल कनेक्टिविटी के तेजी से विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन को संभव बनाता है। पीएम गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में दी गई 4827 परियोजनाओं में से 766 की रूपरेखा नेशनल मास्टर प्लान के मंच पर तैयार कर दी गई है।

■ केन्द्र सरकार की 34 प्रमुख घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन का आंकलन

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों में 25,000 किलोमीटर का विस्तार करने के निर्णय की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने पहले ही राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश तैयार करना शुरू कर दिया है । मंत्रालय वर्तमान वित्तीय वर्ष में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया का समर्थन करने हेतु मौजूदा परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) से संबंधित है। इसकी घोषणा विभिन्न तरीकों से माल की कुशल आवाजाही, लॉजिस्टिक संबंधी लागत एवं लगने वाले समय को कम करने, समय–समय पर इन्वेंट्री प्रबंधन में सहायता करने और थकाऊ दस्तावेजीकरण को खत्म करने के उद्देश्य से की गई थी।

आगे चलकर इस मंच को इसी के अनुरूप विकसित किया गया है और इसने देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र को एक नए तरीके से बढ़ावा देने के प्रयास में विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों की 29 डिजिटल प्रणालियों को एकीकृत किया है। कृषि क्षेत्र में किसान ड्रोन के उपयोग के संदर्भ में, वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों और संबंधित संगठनों को इसे खरीदने के लिए धन जारी कर रहा है।

पीएम आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत 80 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कुल 120.38 लाख स्वीकृत आवासों में से 104.12 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है जबकि 30 सितंबर तक 63.27 लाख आवासों को वितरित कर दिया गया है या फिर उनका निर्माण पूरा कर लिया गया है।

सभी 34 प्रमुख घोषणाओं के गहन विश्लेषण से इनमें से प्रत्येक में काफी प्रगति का पता चलता है और इससे वादा किए गए कार्यों को पूरा करने की दिशा में बेहतर दक्षता और प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी लक्ष्यों को परिभाषित करने और वित्तीय वर्ष के दौरान उन लक्ष्यों की प्रगति पर नज़र रखने के महत्व से अवगत होते हैं। पिछले साल की गई बजट घोषणाओं के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह अतीत की तुलना में, खासकर किसी ठोस उपाय के बिना की जाने वाली लोकलुभावन घोषणाओं से पैदा होने वाली निराशा को देखते हुए, एक स्वागत योग्य बदलाव है। वर्ष 2008 की कृषि ऋण माफी से उपजी कड़वी निराशा इस प्रकार की लोकलुभावन घोषणा का एक सटीक उदहारण है।

कार्यान्वन के इरादे से लैस विवेकपूर्ण नीतियां राजकोष की पवित्रता और सरकार एवं नागरिकों के बीच विश्वास बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। बजट 2022–23 ने बजट घोषणाओं के कार्यान्वन के पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सरकार आने वाले वर्षों में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं।

करण भसीन,
ऑपइंडिया में राजनीतिक अर्थशास्त्री

सर्दी में भी पेयजल संकट

नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल सीएम व मंत्री से मिला

भुसावर, (निसं)। कस्बा भुसावर के कटरा मोहल्ला, दरवाजा मोहल्ला, चंदन कॉलोनी, बिजली घर मोहल्ला, बस स्टैंड व बरपाड़ा मोहल्ला सहित विभिन्न कॉलोनियों में शीतकाल में भी पीने के पानी का संकट व्याप्त है।

क्षेत्र के नागरिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस नेता सतीश पांडे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल से मिला और ज्ञापन देकर ट्यूबवैल स्वीकृत करवा कर पेयजल संकट निवारण करवाने की मांग की।

■ कस्बे की आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों में व्याप्त है पेयजल संकट

पांडे ने पत्र में कहा कि कभी भुसावर की बिजली और पानी की व्यवस्था दिल्ली और जयपुर जैसी हुआ करती थी। आज पानी की केवल एक टाइम सप्लाई है। पांडे ने पत्र में कहा कि सुचारू पेयजल वितरण व्यवस्था हेतु रमेश स्वामी स्मारक के सामने व पारवाले हनुमान जी मंदिर के पास दो ट्यूबवैल स्वीकृत करवा कर पेयजल मुहैया करवाया जाना नितांत आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सरपंच सतीश पांडे के अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी, शारदा–सतीश शर्मा, लक्ष्मी कांत पांडे, वंदना नितिन पांडे सहित अनेक कांग्रेस जन शामिल थे।

जावेद 25 हजार किमी. की साइकिल यात्रा पर निकले

रतनगढ़, (निसं)। रक़्त की कमी को पूरा करने के लिए तरह तरह के प्रयास किये जा रहे हैं, जिसमें कोलकाता के जावेद पिछले दो माह से से पूरे भारत में साईकिल पर 25 हज़ार किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य लेकर निकले हैं। गत सायं रतनगढ़ पहुँचने पर दीपक डीडवानीया ने अपने मित्रों के साथ उनका स्वागत करते हुए उनके विश्राम की व्यवस्था की।

गुरूवार को सुबह नगरपालिका परिसर में स्वागत करते हुए पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व कांग्रेस नेता हेमन्त सारस्वत आगे की यात्रा के लिए रवाना करते हुए मंगलकामनाएं की। इस मौके पर अधिशाषी अधिकारी अभय मीणा सहित दिपक डिडवानिया, शंकरलाल सैनी, संतोष माटोलिया, आषुतोष हरितवाल, अमीत भुढाढरा, श्याम चोटिया, श्याम सैनी, प्रदिप रिणवा, युधिष्ठिर मंगलाहारा, भानु प्रकाश स्वामी, सुमित भुढाढरा आदि उपस्थित थे। वहीं ग्राम बिरमसर तक दीपक डिडवानिया व संतोष माटोलिया भी शामिल हुए।

जैन धर्म की आस्था पर चोट क्यों कर रही है सरकार?

जैन समुदाय से जुड़े लोग इन दिनों देश में जगह–जगह आंदोलन कर रहे हैं। झाड़खंड में श्रीसम्मेद शिखरजी को लेकर सरकारों के फैसले के खिलाफ अलग–अलग तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जैन मुनियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इसमें जैन मुनि सुज्ञेयसागर महाराज ने मंगलवार को प्राण भी त्याग दिया। बुधवार को एक और जैन मुनि ने अपने प्राण त्याग दिये। पूरे विवाद में सियासत भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग साफ लिख रहे हैं कि ये मामला केवल 45 लाख जैनियों का नहीं है, बल्कि 110 करोड़ सनातनियों का है।

आखिर क्यों जैन समुदाय से जुड़े लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है? सम्मेद शिखरजी का विवाद क्या है? जैन समुदाय से जुड़े लोगों का क्या कहना है और सरकार क्या बोल रही है? सम्मेद शिखरजी जैनियों के पवित्र तीर्थ है। जैन समुदाय से जुड़े लोग सम्मेद शिखरजी के कण–कण को पवित्र मानते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित श्रीसम्मेद शिखरजी को पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है। यह जगह लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। बड़ी संख्या में हिंदू भी इसे आस्था का बड़ा केंद्र मानते हैं।

सम्मेद शिखरजी या पारसनाथ पर्वत भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह ज़िले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है। श्रीसम्मेद शिखरजी के रूप में चर्चित इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों, जिनको सर्वोच्च जैन गुरू कहा जाता है, ने मोक्ष की प्राप्ति किया था। यहीं पर 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। यह 1350 मीटर, यानी 4430 फीट ऊंचा पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है।

यहां हर साल लाखों जैन धर्मावलंबी आते हैं । जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनेक संतों व मुनियों ने यहां मोक्ष प्राप्त किया था ।

जैन ग्रंथों के अनुसार सम्मेद शिखर और अयोध्या, इन दोनों का अस्तित्व सृष्टि के समानांतर है।

विवाद यह है कि जैन समुदाय के इस पवित्र धार्मिक स्थल को झारखंड ने सरकार फरवरी 2019 में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। इसके साथ ही देवघर में बैजनाथ धाम और दुमका को बासुकीनाथ धाम को भी इस सूची में शामिल किया गया। उसी साल अगस्त में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी को पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया और कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की जबरदस्त क्षमता है।

सरकार के इसी फैसले का विरोध हो रहा है। जैन समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि ये आस्था का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं। इसे पर्यटन स्थल घोषित करने पर लोग यहां मांस–मदिरा का सेवन करेंगे। इसके चलते इस पवित्र धार्मिक स्थल की पवित्रता खंडित होगी, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा लोग शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदिनाथ की चरण पादुकाओं को खंडित करने को लेकर भी जबरदस्त गुस्से में हैं।

इसे लेकर पिछले दिनों जैन समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े नगरों में महारैली का भी आयोजन किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सम्मेद शिखरजी को लेकर नोटिफिकेशन विगत भाजपा सरकार के वक्त जारी हुआ था और हम इस मामले को अभी देख रहे हैं। सोरेन की पार्टी झामुमो ने कहा कि केंद्र सरकार ने सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किया है, भाजपा अब लोगों को

रामगोपाल जाट

गुमराह कर रही है। भाजपा का कहना है कि जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी, तब सम्मेद शिखरजी को तीर्थस्थल घोषित किया गया था। अब झामुमो सरकार इसे खंडित करने और जैन समुदाय के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है।

मामला केवल इतना ही नहीं है। असल बात यह है कि सम्मेद शिखरजी को लेकर झाड़खंड सरकार चाहती है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाये, ताकि राज्य में पर्यटन बढ़े, जिससे राज्य को मोटा राजस्व प्राप्त होगा। इस मामले में प्रमाण सागर महाराज का कहना है कि सरकार ने नोटिफिकेशन जरूर किया, लेकिन इस तरह की कोई भी कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं की गई, जो नोटिफिकेशन सरकार ने किया, इसकी कोई जानकारी जैन समाज को नहीं दी गई। किसी भी प्रदेश के और राष्ट्रीय अखबार में उसका कोई विज्ञापन नहीं निकाला, तो जैन समाज को इसका पता कैसे चलेगा? सरकार ने किसी भी संचार माध्यम से इसकी जानकारी समाज को नहीं दी। सरकार का कहना है कि नोटिफिकेशन सरकार की वेबसाइट पर है। समाज का कहना है कि सरकार की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया गया है।

किसी ने इस आंदोलन को खड़ा नहीं किया है, लोग खुद आंदोलित हुए हैं, अपनी इच्छित भावना से लोग सड़क उतर रहे हैं। यहां भीड़ इकट्ठी नहीं की गई, यह भीड़ अपने आप एकत्रित हुई है। सम्मेद शिखरजी जैनों के लिए सर्वस्व है। यही वजह है कि हर जैन इसके लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तत्पर है।

■ श्रीसम्मेद शिखरजी आस्था का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं: जैन समाज

आंदोलन करने वालों को किसी राजनीति और राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, इनका लगाव सिर्फ तीर्थ क्षेत्र से है। तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को बचाए रखने के लिए ही बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मुद्दा हो या राज्य सरकार की गलती हो, समाज को इससे कोई सरोकार नहीं है। जैन समाज को केवल अधिसूचना के उस प्रसंग से विरोध है, जिसमें इसे पर्यटन स्थल बताया गया है। केंद्र सरकार अपना दायित्व निभाए, राज्य सरकार अपना दायित्व निभाए ।

इस मामले पर झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पाखंड का काम भाजपा ने किया और आज बदनाम राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को किया जा रहा है।

भाजपा की रघुवर दास सरकार में 22 अक्टूबर 2018 को पर्यटन विभाग ने सम्मेद शिखरजी की पवित्रता अक्षुण्ण रखने का परिपत्र जारी किया था, फिर 26 फरवरी 2019 को राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने गजट प्रकाशित कर मधुवन को पर्यटन स्थल के रूप में चिह्नित किया।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब पिछले दिनों पत्रकारों द्वारा सम्मेद शिखरजी विवाद पर पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही आश्चर्यजनक जवाब देते हुये कहा कि मैंने इस विषय को बारीकी से नहीं देखा है, भारत सरकार द्वारा जो गजट प्रकाशित किया गया है, उसको लेकर यह विषय आ खड़ा हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से न तो कोई टिप्पणी की गई है और न ही कोई निर्णय लिया गया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी, फिर कुछ बताएंगे।

अब आप कल्पना कीजिये, जब एक छोटे से साम्प्रदायिक आंदोलन पर सरकार खड़ी हो जाती है, रातों–रात मीटिंग बुला ली जाती है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों में इतने बड़े आंदोलन जिस विषय पर हो रहे हैं, उसकी हेंमत सोरेन को बारीकी से जानकारी ही नहीं है? यह कैसी सरकार है, जो रजाई ओढ़कर सो रही है और जनता भयानक ठंड में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है? क्या इस तरह की सरकारों को सत्ता में बने रहने का अधिकार है?

दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। केंद्र की मोदी सरकार जैसे राज्य सरकार के भरोसे बैठी है, जबकि राज्य की हेंमत सोरेन सरकार ने पूरा मामला ही केंद्र सरकार और भाजपा की पूर्व सरकार पर डाल दिया है। वास्तव में देखा जाये तो दोनों ही सरकारों को इस मामले पर गंभीरता से विचार कर तुरंत प्रभाव से इस तुगलकी फरमान को वापस लेना चाहिये, ताकि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाएं आहत नहीं हों। अन्यथा समय बदलते ही सरकारें भी बदलती हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र है और इसमें पावर अंततः जनता के हाथ में ही होती है। जनता जिस दिन इस पॉवर का इस्तेमाल करती है, उस दिन बड़े बड़े नेता और दल घर बैठ जाते हैं।

रामगोपाल जाट,
वरिष्ठ पत्रकार

राशिफल शुक्रवार 6 जनवरी, 2023

पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 12:14 तक, ब्रह्म योग प्रातः 8:10 तक, विष्टि करण दिन 3:26 तक, चन्द्रमा मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–धनु, चन्द्रमा–मिथुन, मंगल–वृष, बुध–धनु, गुरू–मीन, शुक्र–मकर, शनि–मकर, राहु–मेष, केतु–तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 12:24 से सूर्योदय तक है। भद्रा दिन 3:26 तक है। आज पौषी पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा व्रत है। आज शाकम्बरी देवी नवरात्रा समाप्त और शाकम्बरी प्राकृट्य महोत्सव उदयपुरवाटी और माघ स्नान आरम्भ होंगे।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:34 तक, लाभ–अमृत 8:34 से 11:14 तक, शुभ 12:32 से 3:50 तक, ख्र 4:26 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:44

मेष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों से पर्याप्त सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

कर्क

व्यक्तिगत परेशानियों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

सिंह

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कन्या

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक यात्रा संभव है।

वृश्चिक

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

धनु

परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

घर–परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।